PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi

Monday, 31st January 2011, Page: 12

Width: 18.88 cms Height: 7.70 cms, Ref: pmin.2011-01-31.37.53

महंगी नहीं, जेनेरिक दवा खरीदें कर्मचारी

53-12

केंद्र ने जारी किया कर्मचारियों को नया फरमान, महंगी दवाएं बढ़ा रही हैं सरकार का बिल

मदन जैड़ा

नई दिल्ली

निर्देश

- सस्ती दवाएं खरीदें कार्मिक, बिल क्लेम करते समय महकमे रखेंगे अब नजर
- स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी जेनेरिक दवाएं खरीदने का जारी कर सकती हैं निर्देश

जरूरी वस्तुओं की कीमतों में इजाफे से आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है लेकिन लगता है कि महंगी दवाओं से केंद्र सरकार भी परेशान है। इसलिए सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए नया फरमान निकाला है कि वे महंगी ब्राडेड दवाएं खरीदने की बजाय सस्ती जेनेरिक दवाएं खरीदें ताकि दवाओं के बढ़ते बिल के बोझ को नियंत्रित किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा केंद्र सरकार से जुड़े सभी संगठनों को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर है कि सरकार के इस आदेश से स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर कदम उठाने की तैयारी में हैं ताकि वे भी अपने ग्राहकों के बिलों को कम कर सकें।

देश में जेनेरिक दवाओं के दाम बेहद कम हैं। सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की ही खरीद होती है। लेकिन केंद्र सरकार के काफी कर्मचारी जो सीजीएचएस के दायरे में आते हैं लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, उन्हें डाक्टर महंगी दवाएं लिखते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों समेत कई महकमे सीजीएचएस के तहत नहीं आते हैं, वे भी महंगी दवाओं के बिल भुगतान के लिए लाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि कार्मिकों द्वारा निजी डाक्टरों की सलाह पर खरीदी जाने वाली दवाओं के भुगतान पर केंद्र का बिल सौ करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल में जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन दवाओं के जेनेरिक वर्सन उपलब्ध हैं, उनकी ब्रांडेड दवाएं नहीं खरीदीं जाएं।